न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर
पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–64 / 2017 रे0वाद
अन्तर्गत धारा:– 53 आर0टी0एक्ट

अनवान

उनवान प्रकरण

1. हेमलता पत्नि सुनील तिवाड़ी, निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीया

बनाम

1. भेरूसिंह आत्मज घीसुसिंह राजपूत निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. रूपसिंह आत्मज घीसुसिंह राजपूत निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. बसन्तीदेवी पत्नि कैलाशचन्द्र माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. सुनील आत्मज मोहनलाल तिवाड़ी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

कृषि भूमि के विभाजन हेतु वाद अन्तर्गत 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–::निर्णय ::–

दिनांक 21.01.2019

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीया ने विषयान्तर्गत वाद का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मेलुनीखेड़ा, तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी में आराजी संख्या 3200 / 2263 रकबा 0.16 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 83 पर स्थित हैं। जिसमें मुझ वादिया का 116 / 1600 वा हिस्सा निहित है, तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का संयुक्त रूप से 44 / 1600 हिस्स, प्रतिवादिया संख्या 3 का 1325 / 1600 वा हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 115 / 1600 वा हिस्सा निहित है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से उसे उपजाऊ बनाने लगान जमा कराने ऋण आदि लेने में अड़चन आती है इसलिये हिस्से का विभाजन कराया जाकर स्वतंत्र खाता कायम करवाया जाए। बाद प्रकरण दिनांक 14.06.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किये गये और विचारण वादग्रस्त आराजियात को विभाजन योग्य पाया जाने से दिनांक 11.09.2017 को वाद प्रारम्भिंक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार सहाडा को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने के आदेश दिया गया तहसीलदार सहाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षो को सुना गया जिनकी ओर से कोई आपत्ति नहीं की लिहाजा वाद में प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किया जाना उचित एवं न्याय हित में है। अतः

निरन्तर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

(2) ...
संख्या 3200/2263 मे मुझ वादिया का 116/1600 वा
हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण संख्या एक व दो

–:आदेश:–

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीया हेमलता पत्नि सुनिल तिवाड़ी और प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

1. हेमलता पत्नी सुनील 116 / 231 तिवाड़ी सुनील पिता मोहनलाल 115 / 231 तिवाड़ी सा0 गंगापुर खातेदार

आ0नं0	रकबा
3200 / 2263 1	0.231
कुल किता 1	**कुल 0.231 हे0**

2. बसन्ती देवी पत्नी कैलाश चन्द्र माली सा0 गंगापुर खातेदार

आ0नं0	रकबा
3200 / 2263 2	0.1325
कुल किता 1	**कुल 0.1325 हे0**

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें। अंतिम डिक्री जारी हो आदेश लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.)

§2§ यह कि वाद पत्र के कलम नम्बर एक में अंकित आराजी

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–64 / 2017 रे.वाद
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

शीर्षक

1. हेमलता पत्नि सुनील तिवाड़ी, निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीया

बनाम

1. भेरूसिंह आत्मज घीसुसिंह राजपूत निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. रूपसिंह आत्मज घीसुसिंह राजपूत निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. बसन्तीदेवी पत्नि कैलाशचन्द्र माली निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. सुनील आत्मज मोहनलाल तिवाड़ी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मु0 गंगापुर जिला भीलवाडा।

प्रतिवादीगण

दिनांक 21.01.2019

वादिया की ओर से अधिवक्ता श्री गणपत लाल राणवा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है ओर डिकी दी जाती हैं कि :–

न्याय हित में वादी का वाद पत्र प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या एक के इस आशय के जारी की जाती हैं कि ग्राम कोशीथल तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में स्थित निम्नांकित आराजियात विभाजन अनुसार वादी एवं प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता हैं, उसी अनुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी के नाम हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें।

वाद में वर्णित कृषि भूमियों के लिये वाद अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीया हेमलता पत्नि सुनिल तिवाड़ी और प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त खाते की भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

1.

(2) यह कि वाद पत्र की कलम नम्बर एक मे अंकित आराजी संख्या 3200/2263 मे मुझ वादिया का 116/1600 वा हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण संख्या एक व दो का संयुक्त रूप से 44/1600वा हिस्सा तथा प्रतिवादी

प्रकरण संख्या :—64 / 2017 रे.वाद
अन्तर्गत धारा :—53 आर.टी.एक्ट

1. हेमलता पत्नी सुनील 116 / 231 तिवाड़ी सुनील पिता मोहनलाल 115 / 231 तिवाड़ी सा0 गंगापुर खातेदार

आ0नं0	रकबा
3200 / 2263 1	0.231

कुल किता 1 **कुल 0.231 हे0**

2. बसन्ती देवी पत्नी कैलाश चन्द्र माली सा0 गंगापुर खातेदार

आ0नं0	रकबा
3200 / 2263 2	0.1325

कुल किता 1 **कुल 0.1325 हे0**

अतः संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रेकार्ड में पक्षकारों के पृथक्–पृथक् खाते कायम किये जाने एवं नक्शा ट्रेस अनुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम करने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करें।

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

डिक्री आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर, भीलवाड़ा(राज0)

§2§ यह कि वाद पत्र की कलम नम्बर एक में अंकित आराजी
संख्या 3200/2263 में मुझ वादिया का 116/1600 वा
हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादीगण संख्या एक व दो